App.-A
Crim.-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 13)

जिला विजयनगर (R) मुकाम Civil

बृजमोहन बनाम इरफान अहमद आदि

मुकदमा अपील इंतकाल नं. 66/2009 सन्

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/09	पेश अपील तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 5.11.09 के विरुद्ध पेश की गयी है। [illegible] अपील दर्ज रजिस्टर [illegible] अपील के [illegible] पत्रावली अंतिम दिनांक 18.11.09 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर (राज०)	1853-57 / 18/11/09
18/11/09	वकील अपीलार्थी हाजिर, [illegible] नहीं आया है [illegible] पत्रावली अंतिम दिनांक 30.12.09 को पेश हो। [signature]	2017 / 18/11/09
30.12.09	वकील अपीलार्थी [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली अंतिम दिनांक 31.1.10 को पेश हो। [signature]	
31.1.10	वकील अपीलार्थी [illegible] पत्रावली अंतिम दिनांक 10.3.10 को पेश हो। [signature]	

29/4/26

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में अवगत करवाया कि उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 06 दिनांक 04.11.2008 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल प्रथम अपील नम्बर 566/2018 अनवानी बृजमोहन बनाम रेस्पोडेन्ट्स वगैरा पेश की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन है एवं जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील के विचाराधीन रहने तक विचाराधीन अपील को होईकोर्ट के आदेश तक स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार उक्त अपील को हाईकोर्ट के आदेश के इन्तजार में स्थगित किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश होने पर उक्त अपील को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु निर्धारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर